कार्यालयः– उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक–उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0–विज्ञप्ति/516-21/2017–18, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II) 2017 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश के क्रम में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के विभिन्न परीक्षा शहरों में दिनांक 15.12.2017 (शुक्रवार) को आयोजित की जाने वाली यू0टी0ई0टी0 परीक्षा 2017 (यू0टी0ई0टी0 प्रथम परीक्षा प्रातः 10:00 से 12:30 बजे तक तथा यू0टी0ई0टी0 द्वितीय की परीक्षा अपराह्न 02:00 से 04:30 बजे तक) के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि यू0टी0ई0टी0 2017 हेतु प्रचलित अर्हता विषयक शासनादेशों के आलोक में जिन अनर्ह अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु निर्देशित किया है, वे अभ्यर्थी दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 08:30 बजे तक उनके द्वारा पूरित परीक्षा आवेदन पत्र (ओ0एम0आर0) में चयनित प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। इस हेतु अभ्यर्थी को नोडल परीक्षा केन्द्र पर आवेदन पत्र (ओ0एम0आर0) में चस्पा की गयी दो समान पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आई0डी0 / पैन कार्ड आदि) तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के सम्बन्धित निर्णय की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी। जो अभ्यर्थी माननीय न्यायालय के आदेश की छायाप्रति के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है वे अभ्यर्थी माननीय न्यायालय के आदेश की मूल प्रति परीक्षा उपरान्त दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 तक प्रत्यावेदन के साथ परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शहरवार नोडल परीक्षा केन्द्रों की सूची एवं अद्यतन माननीय न्यायालय के निर्देश के आधार पर इस परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in/DEPARTMENTAL EXAM/UTET पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देश के क्रम में उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल माननीय न्यायालय के आदेश / अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

भवदीय,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक–उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0–विज्ञप्ति / 516-21 / 2017–18, दिनांक–उक्तवत्।
प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, मा0शि0 / नियंत्रक अधिकारी यू0टी0ई0टी0 परीक्षा 2017 उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / मुख्य नियंत्रक अधिकारी UTET I & II परीक्षा 2017 उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने परीक्षा शहर में बने समस्त नोडल केन्द्र प्रभारियों को तत्काल उक्तवत् दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।
4. समस्त नोडल अधिकारी UTET I & II परीक्षा 2017 उत्तराखण्ड।
5. समस्त 29 परीक्षा शहर के नोडल परीक्षा केन्द्र प्रभारी UTET I & II परीक्षा 2017 उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के सम्बन्धित आदेश की छायाप्रति एवं अन्य आवश्यक पत्रजात प्राप्त कर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश–पत्र निर्गत करने का कष्ट करेंगे।
6. **सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को **12 ×10 से0मी0 स्पेस में** शासकीय दरों पर अपने समाचार–पत्र के ऐसे पृष्ठ पर **प्रकाशित करने** का कष्ट करें जिसका प्रचार–प्रसार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में हो। बिल दो प्रतियों में (समाचार पत्र की मूल प्रति सहित) भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

(एन0सी0पाठक) 12/12/17
अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।